30 नवंबर तक चलेगा मतदाता सत्यापन कार्यक्रम

पटना. भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार राज्य में मतदाता सूची के विशेष कार्यक्रम को संशोधित करते हुए मतदाता सत्यापन कार्यक्रम 30 नवंबर तक चलाने का निर्देश दिया है. मतदाता सूची में नाम जोड़ने, प्रसुधार अथवा दोहरी प्रविष्टियों के संबंध में प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई होगी. एकीकृत मतदाता सूची का प्रारूप 16 दिसंबर को प्रकाशित किया जायेगा. प्रारूप प्रकाशन के बाद 15 जनवरी, 2020 तक दावा-आपत्ति लिया जायेगा. वहीं, सात फरवरी 2020 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशित की जायेगी.